समक्ष हेमंत गुप्ता और मोहिंदर पाल, माननीय न्यायमूर्ति
श्रीमती. शशि तेजपाल, — याचिकाकर्ता
बनाम
हरियाणा राज्य एवं अन्य — उत्तरदाताओं

C.W.P. 2007 / 17260

11 मार्च, 2008

भारत का संविधान, 1950 — अनुच्छेद 226 — हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2006 — नियम 7 — याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित एक अस्वीकृत पद पर व्याख्याता के रूप में नियुक्त किया गया— पुष्टि — सहायता प्राप्त या स्वीकृत पद और अस्वीकृत पद के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं है याचिकाकर्ता ने अस्वीकृत पद पर 14 वर्ष से अधिक सेवा की है — उत्तरदाताओं द्वारा स्वीकृत पद के विरुद्ध किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त करने की कार्रवाई पूरी तरह से अनुचित है - याचिका स्वीकृत है, उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा धारित पद को उस उस पद के रूप में मानें जिसके लिए अनुदान सहायता देय है।

अभिनिर्धारित किया गया कि, व्याख्याता जो पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से गैर सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने का अधिकार है ताकि उन्हें उस पद के लिए अनुदान-सहायता प्राप्त हो सके। यह पूरी तरह से अनुचित होगा यदि किसी व्यक्ति को, जिसने अस्वीकृत पद पर 14 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा की हो, उसे उसके धारित पद के लिए अनुदान सहायता नहीं मिलती, है, हालांकि स्वीकृत पद के खिलाफ समान कॉलेज में और समान प्रक्रिया का पालन करके ताजा नई नियुक्ति स्वीकृत है। इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता की जगह , स्वीकृत पद के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है,लेकिन याचिकाकर्ता, जिसने पहले ही 14 साल की संतोषजनक सेवा प्रदान की है, को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान देने के अनुमोदन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है।सहायता अनुदान का प्रभाव यह होगा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार पेंशन लाभ का हकदार होगा। न तो 3 अगस्त, 2007 के संचार में और न ही लिखित बयान में इस बात का कोई कारण बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद को स्वीकृत पद क्यों नहीं माना जा सकता है। एक बार जब क़ानून के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो सहायता अनुदान के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद को मंजूरी देना केवल एक प्रशासनिक निर्णय है। ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक अस्वीकृत पद पर 14 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, केवल यह व्याख्या ही निष्पक्ष और उचित होगी|

आर.के. मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता, निगम भारद्वाज के साथ, एडवोकेट,
याचिकाकर्ता के लिए

O.P. शर्मा, , अतिरिक्त एजी हरियाणा ,प्रतिवादी Nos.1 और 2.

के लिए,

आर.सी. कपूर, एडवोकेट, प्रतिवादी 3 के लिए

हेमंत गुप्ता, जे.

(1) याचिकाकर्ता ने सर्टिओरीरी\उत्प्रेषण रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल किया है ताकि 3 अगस्त, 2007 के आदेश को रद्द किया जा सके (अनुलग्नक P-10)|

(2) इससे पहले याचिकाकर्ता को 27 जुलाई 1980 को एस.डी. महिला शिक्षा महाविद्यालय (नरवाना) में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। उक्त नियुक्ति को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था तथा याचिकाकर्ता को भी स्थायी कर दिया गया था। उक्त कॉलेज को बंद कर दिया गया और याचिकाकर्ता सहित सभी व्याख्याताओं को कार्यमुक्त कर दिया गया। निदेशक, उच्च शिक्षा ने दिनांक 13 अगस्त, 1984 को संचार के माध्यम से हिंदी-गर्ल्स कॉलेज, जगाधरी को याचिकाकर्ता को समायोजित करने का निर्देश दिया लेकिन याचिकाकर्ता को कोई नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया।

(3) याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता ने गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज, संतपुरा, यमुनानगर द्वारा जारी विज्ञापन के अनुसरण में शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन किया | याचिकाकर्ता का चयन विधिवत गठित चयन समिति द्वारा किया गया और 6 सितंबर, 1993 को नियुक्ति की पेशकश की गई। चयन समिति में उच्च शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि; विश्वविद्यालय के कुलपति का चयनित प्रतिनिधि; और विषय विशेषज्ञ शामिल था। याचिकाकर्ता की नियुक्ति को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मंजूरी दे दी थी और 6 सितंबर, 1995 को याचिकाकर्ता की सेवाओं की पुष्टि कर दी गई थी। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता के रूप में उनकी नियुक्ति अस्वीकृत पद पर पद की गई थी| हालाँकि, 1 जुलाई, 2004 को शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता का एक पद उपलब्ध हुआ। प्रबंधन द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा रखे गए पद को अस्वीकृत पद से स्वीकृत पद में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन 3 अगस्त 2007, को वर्तमान रिट याचिका में चुनौती दिए गए आदेश के अनुसार इसे अस्वीकार कर दिया गया। ।

(4) याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ता को हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान की गई उचित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त किया गया है। याचिकाकर्ता की प्रार्थना है कि याचिकाकर्ता के पद की मंजूरी प्रदान की जाए, जिसका मतलब है कि प्रार्थी द्वारा धारित पद की वेतन और भत्ते राज्य सरकार द्वारा अपनी अनुदान-सहायता नीति के अनुसार दिए जाएंगे और न कि प्रबंधन द्वारा।

(5) जवाब में बताया गया कि कि याचिकाकर्ता को शारीरिक शिक्षा के व्याख्याता के पद पर मासिक संघटित वेतन पर स्वयं प्रबंधन द्वारा एक अस्वीकृत पद पर नियुक्त किया गया था। अस्वीकृत पदों पर नियुक्ति के संबंध में राज्य की कोई भूमिका नहीं है और राज्य सरकार सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्वीकृत पदों के विरुद्ध काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन के संबंध में केवल 95% घाटे की सीमा तक कॉलेज को अनुदान

सहायता प्रदान करती है। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व की सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच की गई थी और हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 2006 के अनुसार खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता को स्वीकृत पद के विरुद्ध अस्वीकृत पद से समायोजित करने के लिए कोई नियम या निर्देश नहीं हैं।

(6) याचिकाकर्ता का यह मामला स्पष्ट है कि निदेशक, उच्च शिक्षा का प्रतिनिधि चयन समिति की बैठक, जो शारीरिक शिक्षा में व्याख्याता के एक स्थायी पद को भरने के लिए हुई थी ,में उपस्थित था। 2006 के नियमों के नियम 7 में निर्दिष्ट भर्ती प्रक्रिया का पालन किया गया है। चयन समिति में उच्च शिक्षा निदेशक के प्रतिनिधि; विश्वविद्यालय के कुलपति का चयनित प्रतिनिधि; और विषय विशेषज्ञ शामिल थे इसलिए, इससे अधिक कुछ नहीं था जो स्वीकृत पद के विरुद्ध याचिकाकर्ता की नियुक्ति को मंजूरी देने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना आवश्यक है क्योंकि यह केवल एक प्रशासनिक निर्णय है, जिसे निजी तौर पर संबद्ध सहायता प्राप्त कॉलेज में स्वीकृत पद की उपलब्धता पर उत्तरदाताओं द्वारा लिया जाना आवश्यक है। यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम के प्रावधान सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त पद को भरने के तरीके में कोई अंतर नहीं रखते हैं, इसलिए, उत्तरदाताओं द्वारा मांगा गया अंतर पूरी तरह से अस्थिर है।

(7) अधिनियम के तहत संबद्ध कॉलेज का मतलब एक कॉलेज है, जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नहीं चलाया जाता है और जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त है। कर्मचारी का मतलब किसी भी व्यक्ति से है जो किसी संबद्ध कॉलेज में पूर्णकालिक रोजगार में है। अधिनियम की धारा 4 भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तों से संबंधित है। प्रारंभ में, हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1980 बनाए गए थे। हालाँकि, ऐसे नियमों को हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) नियम, 1993 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह उक्त नियम हैं, जिन्हें 13 जून, 2006 को 2006 के नियमों के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। याचिकाकर्ता को वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था। उस समय, व्याख्याताओं की नियुक्ति के संबंध में लागू नियम 14 मार्च, 1993 को प्रकाशित 1993 नियम थे। उपरोक्त नियमों का नियम 7, जो भर्ती की पद्धति से संबंधित है, इस प्रकार है:-

> "7. भर्ती की विधि- (1) सेवा में भर्ती की जाएगी:-
>
> (a) XX XX XX
>
> (b) व्याख्याता, निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं लाइब्रेरियन के मामले में एक चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा जिसमें अध्यक्ष, प्रबंध समिति या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष या दोनों की अनुपस्थिति में प्रबंध समिति के महासचिव शामिल होते हैं। यदि उनमें से कोई भी उपस्थित नहीं हो पाता है तो प्रबंध समिति का अध्यक्ष प्रबंध समिति के किसी अन्य सदस्य तथा चार अन्य सदस्यों को नामित करेगा:-
>
> i. कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति जो संबंधित विषय का विशेषज्ञ हो|
> ii. प्रबंध समिति के अध्यक्ष द्वारा दस नामों के पैनल में से एक विषय विशेषज्ञ का चयन किया जाएगा, जिसमें 5 नाम संबंधित विश्वविद्यालय

के कुलपति द्वारा या और पांच नाम निदेशक द्वारा नामित किए जाएंगे।

iii. कॉलेज के प्राचार्य.

iv. निदेशक का प्रतिनिधि

कोरम

i. व्याख्याता, निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के चयन के लिए चयन समिति का कोरम पांच में से चार सदस्यों का होगा। लेकिन कुलपति के नामित व्यक्ति और निदेशक के प्रतिनिधि की उपस्थिति जरूरी होगी.

ii. यदि प्रबंध समिति का अध्यक्ष या उसका नामित व्यक्ति उपस्थित होने में असमर्थ है, तो कुलपति का नामित व्यक्ति चयन समिति का अध्यक्ष होगा|

(8) उत्तरदाताओं के विद्वान वकील सहायता प्राप्त या स्वीकृत पद और अस्वीकृत पद के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई अंतर नहीं बता सके। एक बार, क़ानून के तहत पद की नियुक्ति की प्रक्रिया का अनुपालन कर लिया गया है, उसके बाद ही याचिकाकर्ता द्वारा dharit पद पर सहायता अनुदान के भुगतान के संबंध में एक प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है। यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम एक संबद्ध कॉलेज पर लागू होता है, न कि किसी संबद्ध कॉलेज के सहायता प्राप्त पदों पर।

(9) हमारे विचार में, व्याख्याता जो पिछले 14 वर्षों से अधिक समय से गैर सहायता प्राप्त पद पर कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार से मंजूरी प्राप्त करने का अधिकार है ताकि उन्हें उस पद के लिए अनुदान-सहायता प्राप्त हो सके। यह पूरी तरह से अनुचित होगा यदि किसी व्यक्ति को, जिसने अस्वीकृत पद पर 14 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा की हो, उसे उसके धारित पद के लिए अनुदान सहायता नहीं मिलती, है, हालांकि स्वीकृत पद के खिलाफ समान कॉलेज में और समान प्रक्रिया का पालन करके ताजा नई नियुक्ति स्वीकृत है। इसलिए, प्रतिवादी याचिकाकर्ता की जगह , स्वीकृत पद के खिलाफ किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है,लेकिन याचिकाकर्ता, जिसने पहले ही 14 साल की संतोषजनक सेवा प्रदान की है, को राज्य सरकार द्वारा सहायता अनुदान देने के अनुमोदन के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। सहायता अनुदान का प्रभाव यह होगा कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार पेंशन लाभ का हकदार होगा। न तो 3 अगस्त, 2007 के संचार में और न ही लिखित बयान में इस बात का कोई कारण बताया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद को स्वीकृत पद क्यों नहीं माना जा सकता है|

(10) इसलिए, हमारी राय है ,एक बार जब क़ानून के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया का पालन किया जाता है, तो सहायता अनुदान के प्रयोजनों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा धारित पद को मंजूरी देना केवल एक प्रशासनिक निर्णय है। ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता ने एक अस्वीकृत पद पर 14 वर्षों से अधिक समय तक काम किया है, केवल यह व्याख्या ही निष्पक्ष और उचित होगी|

(11) परिणामस्वरूप, वर्तमान रिट याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-10 निरस्त किया जाता है। उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता धारित पद को उस पद के रूप में मानें जिसके लिए सहायता अनुदान देय है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है कि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वियन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा